न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डा0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या— 107/2023

प्रार्थना पत्र राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, राज0 भूराजस्व (भू0अ0) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 66, 86 के अन्तर्गत स्थायी रूप से चालू रास्ता को राजस्व अभिलेख में अंकित करने बावत

उपस्थिति—श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा एडवोकेट
श्री शिवकिशोर शर्मा एडवोकेट
श्री गजेन्द्रसिंह राना एडवोकेट
सभी निजी खातेदारो की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 18.06.2024

तहसीलदार धौलपुर की ओर से प्रार्थना पत्र राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, राज0 भूराजस्व (भू0अ0) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 66, 86 के अन्तर्गत स्थायी रूप से चालू रास्ता को राजस्व अभिलेख में अंकित करने बावत इस आश्य के साथ पेंश किया कि ग्राम बहबलपुर तहसील धौलपुर की निजी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 325 रकबा 0.5437 है0 मेसे 0.1110 है0, 326 रकबा 0.7208 है मे से 0.0906 है0, 483/328 रकबा 0.2150 है0 मेसे 0.0138 है0, 329 रकबा 0.2403 है0 मेसे 0.0196 है0, 330 रकबा 0.2655 है0 मे से 0.0333 है0 331 रकबा 0.2655 है0 मे से 0.0232 है0, 332 रकबा 0.2655 मे से 0.0588 है0 333 रकबा 0.6955 है0 मे से 0.0506 है एवं सिवायचक आबादी के आराजी खसरा नम्बर 484/327 रकबा 0.2150 है0 मेसे 0.0278 है0, 485/327 रकबा 0.1897 है0 मेसे 0.0228 है0, 482/328 रकबा 0.0379 है0 मे से 0.0080 है0 तथा ग्राम जाटोली की आराजी खसरा नम्बर 1109/619 रकबा 0.1770 है0 मे से 0.0054 है0 623 रकबा 0.2782 है0 मे से 0.0207 है0 भूमि मे वर्तमान में सार्वजनिक रास्ता बना हुआ है एवं उपयोग में आ रहा है किन्तु राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि रास्ते के रूप में अभिलिखित नहीं हैं। उन्होने सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को राजस्व रेकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने का निवेदन किया। तहसीलदार की ओर से प्रार्थना पत्र में समर्थन में प्रतिलिपि जमावन्दी, नक्शा अक्स एवं नक्शा व्लूप्रिन्ट में रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को दर्शाते हुए पेंश किये गये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपरोक्त भूमि के अभिलिखित निजी खातेदारो को तलब किया गया। अप्रार्थी श्रीराम, रमेश, मनोज, रामवीर, राहुल, सचिन की ओर से प्रस्तुत जबाव में अंकित किया कि प्रकरण में अप्रार्थीगण का खसरा नम्बर 329 बाके ग्राम बहबलपुर तहसील धौलपुर मे से

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

आम रास्ते के लिए जमीन ली गई है। जो काफी वर्षों पहले ली गई थी और मौके पर आम रास्ता आर0 सी0 सी0 की बनी हुयी है लेकिन राजस्व रेकार्ड में आम रास्ता जाटोली से कछियारा जाने वाले की आज दिनांक तक तरमीम नहीं की गई है और ना ही अप्रार्थीगण को उक्त खसरा नम्बर की जमीन रास्ते के लिए ली गई भूमि का आज तक मुआवजा नहीं दिया गया हैं। उक्त खसरा नम्बर 329 के बीचो बीच में से रोड निकला था जिससे उक्त खसरा नम्बर के दो भाग हो गये थे दोनो का तरमीम कर नम्बर डाला जावे।

प्रकरण में तहसीलदार धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई उन्होने अपने पत्रांक एलआर/2023/3155 दिनांक 11.12.2023 के द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रस्तावित रास्ता राजाखेडा रोड से जाटोली होते हुए कछियारा को जाने वाली पक्की सडक को जोडता है। रास्ता वर्तमान में चालू है मौके पर पक्की आर0सी0सी0 सडक बनी हुई हैप्रस्तावित रास्ते की लम्बाई लगभग 1300 फीट एवं चौडाई 50 फीट है। यह रास्ता कदीमी नही है पक्का रास्ता है जिस पर पी0डब्लू0डी0 द्वारा सडक बनाई गई है एवं उक्त रास्ता लगभग 50 वर्षो से चालू है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि किसी प्रतिबन्धित श्रेणी में नही आती है एवं किसी संस्था/वन/चारागाह/डूब क्षेत्र/अब्दुल रहमान से प्रभावित नहीं हैं प्रस्तावित रास्ते की समस्त भूमि खातेदारी भूमि एंव खसरा नम्बर 325 पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर में स्थगन आदेश जारी हैं उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है।

हमने प्रकरण के पक्षकारो को सुना एवं प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात, मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि तहसीलदार द्वारा अपने आवेदन में जिन खसरा नम्बरो मे मौके पर रास्ता सार्वजनिक विद्यमान है और इसका इन्द्राज राजस्व रेकार्ड में नही हुआ है तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित भूमि को सार्वजनिक रास्ता के रूप में राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने में किसी के द्वारा कोई आपत्ति नही की गई है बल्कि प्रस्तावित रास्ता काफी वर्ष पुराना होना एवं आर सी सी की सडक बनी होना बताया है, तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में भी उपरोक्त आराजी में पक्की सडक बनी होना बताया गया है तहसीलदार की रिपोर्ट में प्रस्तावित आराजी खसरा नम्बर 325 पर इस न्यायालय का स्थगन आदेश होना अंकित किया गया है, जबकि इस न्यायालय में बिचाराधीन प्रकरण संख्या 5/2020 दाताराम बनाम वासुदेव प्रार्थना पत्र 212 आर0 टी0 एक्ट में खसरा नम्बर 325 के संबंध में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2024 को खारिज किया जा चुका है इस प्रकार जारी स्थगन आदेश निष्प्रभावी हो चुका है। अतः हम प्रकरण के तथ्यो से सहमत होते हुए राजस्व विभाग राज0 के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में प्रार्थना पत्र तहसीलदार स्वीकार किया जाकर रास्ते के लिए प्रस्तावित राजकीय भूमि मे से प्रस्तावित रास्ता की भूमि को राजकीय गैरमुमकिन रास्ता तथा निजी खातेदारो की भूमि मे से रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि निजी खातेदारो की खातेदारी में रखते हुए रास्ता की भूमि की

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

किस्म गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शा व जमाबंन्दी में रास्ता का पृथक नम्बर कायम किया किया जाना उचित समझतें है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र तहसीलदार धौलपुर स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बहबलपुर तहसील धौलपुर की निजी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 325 रकबा 0.5437 है0 मेसे 0.1110 है0, 326 रकबा 0.7208 है मे से 0.0906 है0, 483/328 रकबा 0.2150 है0 मेसे 0.0138 है0, 329 रकबा 0.2403 है0 मेसे 0.0196 है0, 330 रकबा 0.2655 है0 मे से 0.0333 है0 331 रकबा 0.2655 है0 मे से 0.0232 है0, 332 रकबा 0.2655 मे से 0.0588 है0 333 रकबा 0.6955 है0 मे से 0.0506 है एवं सिवायचक आबादी के आराजी खसरा नम्बर 484/327 रकबा 0.2150 है0 मेसे 0.0278 है0, 485/327 रकबा 0.1897 है0 मेसे 0.0228 है0, 482/328 रकबा 0.0379 है0 मे से 0.0080 है0 तथा ग्राम जाटोली की आराजी खसरा नम्बर 1109/619 रकबा 0.1770 है0 मे से 0.0054 है0 623 रकबा 0.2782 है0 मे से 0.0207 है0 उक्त भूमि मे से राजकीय भूमि मे से रास्ता की भूमि को राजकीय गैरमुमकिन रास्ता तथा निजी खातेदारो की भूमि मे से रास्ता के लिए प्रस्तावित भूमि को निजी खातेदारो की खातेदारी में रखते हुए रास्ता की भूमि की किस्म गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व नक्शा व जमाबन्दी में प्रस्तावित नक्शानुसार रास्ता की तरमीम किये जाने एवं रास्ता का खसरा नम्बर पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तावित रास्ता का नक्शा आदेश का प्रमुख अंग रहेगा। आदेश प्रति पालना हेतु तहसीलदार धौलपुर को प्रेषित की जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)